<u>प्रेस नोट –</u>

<u>थाना बबीना जनपद झाँसी</u>

<u>दिनांक 12.09.2026</u>

❖ **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**

❖ **थाना बबीना पुलिस व एएनटीएफ टीम झाँसी की संयुक्त टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 214 किग्रा0 गांजा(कीमत करीब 01 करोड़ 07 लाख रू0) व ट्रक बरामद,**

❖ **गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 11.09.2026 को थाना बबीना पुलिस एवं एएनटीएफ टीम झाँसी की संयुक्त टीम द्वारा हाइवे से सुकमा-डुकमा रोड पर नयाखेड़ा की ओर अनिल वाल्मीकि के फार्म हाउस के सामने, थाना बबीना, जनपद झाँसी में दबिश दी गई। दबिश के दौरान अभियुक्तगण 1. सतपाल उर्फ सत्यपाल पुत्र बचन सिंह, निवासी ग्राम सौदापुर, थाना बार्डर टाउन, जिला पानीपत, हरियाणा, उम्र करीब 46 वर्ष एवं 2. मोहन कुशवाहा पुत्र राजू कुशवाहा, निवासी मोहल्ला सिंधिया नगर, थाना बोड़ापुर, जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश, उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से ट्रक रजि0 नं0 PB10JE5483 में कुल 214 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बबीना पर मु0अ0सं0 295/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई तथा उक्त ट्रक को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> पूछताछ में ट्रक डाइवर ने अपना नाम सतपाल उर्फ सत्यपाल पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम सौदापुर थाना बार्डर टाउन जिला पानीपत हरियाणा उम्र करीब 46 वर्ष बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मोहन कुशवाहा पुत्र राजू कुशवाहा निवासी मोहल्ला सिंधिया नगर थाना बोड़ापुर जनपद ग्वालियर मध्यप्रदेश उम्र करीब 27 वर्ष बताया । मोहन कुशवाहा ने बताया कि मेरा पड़ोसी आकाश कुशवाहा गांजे का कम करता है उनके साथ ही मैं किराये की किया गाड़ी से भुवनेश्वर उड़ीसा गया था उसने ही अपने साथियों के साथ इस ट्रक मे गांजा लोड कराया था जिसके बाद आकाश ने अपना और हम लोगों के मो0नं0 बन्द करा दिये थे और हमे गाड़ी को लेकर ग्वालियर आने के लिये कहा था और कहा था कि ग्वालियर पहुंच कर ही अपना मोबाइल आन करके मुझे काल कर लेना तो मै माल उतरवा लुंगा और वहीं तुम्हारे पैसे भी तुम्हे दे दुंगा । यह गांजा लेकर आने के मुझे तीस हजार रुपये तथा ड्राइवर सतपाल को एक लाख रुपये ग्वालियर पहुच कर देने को कहा था । ड्राइवर सतपाल उर्फ सत्यपाल उपरोक्त से उक्त ट्रक के बारे मे जानकारी करने पर बताया कि यह

ट्रक मेरे जानने वाले सुरेश कुमार निवानी लुधियाना का है जिसे मै किराये पर लेकर चलाता हूं मैं मथुरा से माल छोड़ने विजयवाड़ा गया था जहां पर उमराव सिंह रावत उर्फ कल्लू नाम के लड़के का फोन आया था जो ग्वालियर ही रहने बाला है तथा वह मेरा जानने वाला है, उसने मुझे भुवनेश्वर में आकाश से संपर्क कने को कहा था और एक लाख रुपए देने को बात बताई थी मैने भुवनेश्नर में जाकर दिनांक 07.09.2026 को आकाश से मिला था जहां पर वह मेरा ट्रक लेकर चला गया था और फिर शाम को ट्रक में माल रखवा कर मुझे दे दिया और मेरा फोन भी बंद कर दिया था और मुझसे कहा था कि अपने तरफ से फोन नहीं करना रस्ते में होटल ढाबे बालों के फोन से फोन करना वहीं पर मुझे मोहन मिला था फिर मै और मोहन सावधानी बरतते हुए आ रहे थे और यहां पकड़े गए।

<u>अभियुक्तगण का नाम व पता-</u>

1.सतपाल उर्फ सत्यपाल पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम सौदापुर थाना बार्डर टाउन जिला पानीपत हरियाणा उम्र करीब 46 वर्ष

2. मोहन कुशवाहा पुत्र राजू कुशवाहा निवासी मोहल्ला सिंधिया नगर थाना बोड़ापुर जनपद ग्वालियर मध्यप्रदेश उम्र करीब 27 वर्ष

<u>बरामद माल का विवरण -</u>

ट्रक नं0 PB10JE5483 में 214 किलोग्राम ग्राम गांजा(कीमत करीब 1 करोड 7 लाख रूपये)

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम</u>

1-थानाध्यक्ष बबीना मय पुलिस टीम

2-एएनटीएफ टीम झाँसी